

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल


क्रमांक एफ 52-1/2010/19/यो-5496

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2013

प्रति,
✓ प्रमुख अभियंता,
लोकनिर्माण विभाग,
मध्य प्रदेश भोपाल

विषय: आबादी क्षेत्रों में मरम्मत कार्य ।

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर अधिक यातायात घनत्व वाले घनी आबादी मार्ग खण्डों, जहाँ पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, में करेक्टिव मैन्टेनेंस के स्थान पर प्रीवेंटिव मैन्टेनेंस के रूप में आवश्यकता अनुसार तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त नवीनीकरण के अन्तर्गत 20 मिलीमीटर ओजीपीसी के स्थान पर 50 मिलीमीटर, बीएम एवं 20/25 मिलीमीटर ओजीपीसी/एसडीबीसी की अनुमति दी जाये।



(विजय सिंह वर्मा)
सचिव,
लोक निर्माण विभाग

पृ.क्र एफ 52-1/2010/19/यो

भोपाल, दिनांक सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि :-

1. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश
2. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश,
3. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


सचिव
म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग